**संख्या-16/2018/338/38-6-18-8(एसआरएलएम)/2018**

**प्रेषक,**

**टी0के0 शिबु,**
**विशेष सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**आयुक्त,**
**ग्राम्य विकास,**
**उ0प्र0, लखनऊ।**

**ग्राम्य विकास अनुभाग-6** **लखनऊ दिनांक- 28 अगस्त, 2018**

**विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-81(एससीटी मद) में अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-988/1096/आजीविका /2018-19, दि0-25.06.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास म्ंात्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2017-आरएल(एनआरएलएम-23सी, दि0-26.04.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत(एनआरएलएम) अनुदान सं0-81 अनुसूचित जनजाति मद में केन्द्रांश की प्रथम किश्त रू0-3831.08 लाख में से रू0 2751.08 लाख की धनराशि स्वीकृति हेतु अवशेष है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु एससीटी मद अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत रू0-1800.00 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के उक्त आदेश दि0-26.04.2017 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में एनआरएलएम के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 अनुसूचित जनजाति मद में उक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रू0 2751.08 लाख में से केन्द्रांश रू0-1080.00 लाख एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0-720.00 लाख कुल धनराशि रू0-1800.00 लाख(रूपये अटठारह करोड मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व **आयुक्त ग्राम्य विकास/**मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व **आयुक्त ग्राम्य विकास/**मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन कार्यों/मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही कार्यों/मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा। इस संबंध में वित्तीय नियमों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि के आहरण के संबंध में मित्वययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीक़त की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-135/दस-2018-231/2018, दि0-30 मार्च, 2018 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाहीअनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातिय उप क्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनांए-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-890/दस-18, दि0-24 अगस्त 2018 में प्राप्त उनकी सहमति तथा समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश दि0-27.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

**भवदीय,**

**(टी0के0 शिबु)**
विशेष सचिव।

**संख्या-16/2018/338(1)/38-6-2018, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- बजट प्रकोष्ठ समाजकल्याण/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)**
**अनु सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in